आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–66 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्र0–कर्रा, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित। इस वाद में सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आयोग को जानकारी दी गई है कि लाभुक को आयोग के आदेश के आलोक में 5000रू० की राशि का भुगतान किया गया है। आयोग के इस आशय का प्रमाण सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा पेश करने के उपरान्त आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx19	